ईसीजीसी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय

मुंबई

ईसीजीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)नीति

1. प्रस्तावना

1 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कम्पनी , प्राइवेट लिमिटेड हो अथवा पब्लिक लिमिटेड , जिसका निवल मालियत 500 करोड़ रु हो अथवा जिसका पण्यावर्त 1,000 करोड़ रु हो अथवा जिसका निवल लाभ 5 करोड़ रु हो , द्वारा , तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% भाग को कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व गतिविधियों पर व्यय करना होगा। सामान्य कारोबार गतिविधि के रूप में सी एस आर गतिविधियाँ नहीं की जानी चाहिए तथा ये अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी गतिविधि के अनुसार होनी चाहिए।

2. विज़न

ईसीजीसी, अपनी सी एस आर नीति के ज़रिये , पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता के साथ एक सामाजिक तौर पर जागरूक निगमित ईकाई के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने हेतु सामाज एवं समुदाय को अपनी सेवायें प्रदान करना, नियमित विकास के लिए प्रयास एवं पहल जारी रखेगा।

ईसीजीसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI ECGC LIMITED

3. **उद्देश्य**

- संगठन में अपने सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी स्तरों पर आर्थिक , सामजिक एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में सतत कारोबार के परिचालन के लिए , सभी स्तरों पर वर्धित दायित्व को सुनिश्चित करना ;
- प्रत्यक्ष / परोक्ष रूप में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करना जो समुदायों को लाभान्वित करने के साथ साथ इसके विभिन्न कार्यालयों के आस पास स्थित स्थानीय लोगों के जीवन यापन की गुणवत्ता एवं सुधार के लिए भी लाभकारी हों;
- इस प्रकार की गतिविधियों का कार्यान्वयन करना जो कि कमज़ोर, गरीब एवं सामजिक तौर पर पिछड़े तबके के समुदायों सशक्त करे;
- अपनी सी एस आर पहलों के माध्यम से अपने शेयरधारकों में ईसीजीसी के लिए सद्भाव एवं गर्व की भावना उत्पन्न करने एवं ईसीजीसी की एक अनुकूल एवं सामाजिक रूप से जागरूक निगमित ईकाई की छवि का निर्माण करना;

4. **गतिविधियों का आयोजन**

कम्पनी की , कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन अथवा तीन से अधिक निदेशकों वाली बोर्ड स्तर की एक उप समिति गठित की जायेगी जिसे इसके पश्चात सी एस आर व संधारणीय विकास समिति (सी एस आर व एस डी) नाम से जाना जाएगा।

क. **बोर्ड की सी एस आर व एस डी समिति**

i. समिति के अध्यक्ष , अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे एवं वर्तमान में सदस्यों के रूप में सात अन्य निदेशक शामिल हैं। बोर्ड द्वारा जब भी आवश्यक हो समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (एक तिहाई में किसी प्रकार के अंश को एक में पूर्णांकित कर दार्शाया जाए) अथवा समिति के अध्यक्ष सहित दो निदेशक जो भी अधिक हो ,को आवश्यक कोरम माना जाएगा।

ii. निर्धारित एवं बोर्ड को प्रस्तुत , कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व नीति , में कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित अनुसार कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाना;

ईसीजीसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI

iii. उक्त शर्त (i) में उल्लिखित गतिविधियों के लिए किये गए बजट व्यय की राशि की सिफारिश;

iv. समय समय पर कम्पनी की कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व नीति की निगरानी करना;

v. तिमाही आधार पर सी एस आर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

vi. 50 लाख रु से अधिक मूल्य के कार्यक्रमों / परियोजनाओं / गतिविधियों का अनुमोदन करना;

ख. **<u>आतंरिक वरिष्ठ कार्यपालक समिति</u>**

कम्पनी में सी एस आर गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एक वरिष्ठ कार्यपालकों की समिति गठित की जायेगी। अ प्र नि को अधिकार है कि वे आवश्यकता एवं अधिकारीयों की उपलब्धता के आधार पर वरिष्ठ कार्यपालक समिति का पुनर्गठन करें।

आतंरिक वरिष्ठ कार्यपालक समिति (आई एस ई सी) की भूमिका / दायित्वों में निम्न शामिल हैं :-

i. सी एस आर विभाग को नीति के अनुरूप सी एस आर गतिविधियों का सुझाव देना।

ii. सी एस आर परियोजना / कार्यक्रमों / गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना करना।

iii. कंपनी के समग्र सी एस आर बजट के 40% तक की सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु से अधिक मूल्य कार्यक्रम/परियोजना/गतिविधि को अनुमोदित करना ।

वर्तमान में आई एस ई सी के सदस्य निम्नानुसार हैं :-

I. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - अध्यक्ष

II. कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) - वैकल्पिक अध्यक्ष

III. कार्यपालक निदेशक (परिचालन) - सदस्य

IV. महाप्रबंधक (सी एस आर) - सदस्य

V. महाप्रबंधक (मा सं वि) - सदस्य

VI. महाप्रबंधक (वित्त) - सदस्य

VII. महाप्रबंधक (ईसीआईबी)- सदस्य

ईसीजीसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI

समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्य कोरम में शामिल होंगे।

5. **<u>परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियाँ</u>**

सी एस आर नीति के फोकस क्षेत्र में , बच्चों,महिलाओं एवं समाज के कमजोर एवं पिछड़ा तबका शामिल होगा.

परियोजना / कार्यक्रम / गतिविधियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :-

i. पेय जल की आपूर्ति की सुविधा ।

ii. शिक्षा ।

iii. सौर ऊर्जा प्रणाली।

iv. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

v. स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य।

vi. पर्यावरण अनुकूल तकनीक।

vii. फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के ज़रिये आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए आजीविका का संवर्धन।

viii. समुदाय केन्द्रों / रात्री निवासों / वृधाश्रमों का निर्माण।

ix. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

x. दक्षता विकास केन्द्रों की स्थापना।

xi. अनु जा, अनु जन जा, अ पि जा तथा दिव्यांग श्रेणियों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृति प्रदान करना।

xii. युवाओं के लिए दक्षता प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम।

xiii. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी)।

xiv. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करना।

xv. प्रधान मंत्री राष्ट्रिय रायट निधि अथवा स्वच्छ भारत कोष अथवा गंगा सफाई परियोजना निधि अथवा शशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि अथवा सी एस आर गतिविधि के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट गतिविधियों के क्षेत्र अथवा विषय पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निधि में अंशदान।

xvi. प्रधानमंत्री राहत निधि।

xvii. उक्त के अलावा बोर्ड के अनुमोदन से कोई अन्य परियोजना / कार्यक्रम / गतिविधि

एचडीएफसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI

6. **<u>कार्यान्वयन एजेंसी (नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत)</u>**

निम्नलिखित एजेंसियों/ईकाइयों द्वारा/के ज़रिये सी एस आर परियोजनाएं/गतिविधियाँ कार्यान्वित की जायेंगी :-

i. सामुदायिक संगठन

ii. पंचायतों के रूप में चुनी गयी स्थानीय निकाय

iii. संसथान / शैक्षणिक संसथान

iv. ट्रस्ट , मिशन आदि

v. सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्त निकाय

vi. सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी सभा (स्कोप)

vii. सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) के निर्देशों के अनुसार महत्वाकांक्षी ज़िला।

viii. 01.04.2021 से सी एस आर 1 फॉर्म की प्रस्तुति के लिए ईकाई का पंजीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक ईकाई के लिए विशेष सी एस आर पंजीकरण संख्या जनरेट की जाएगी।

ix. अब से सी जी / एस जी द्वारा स्थापित ट्रस्ट को छोड़ कर , पंजीकृत ट्रस्ट की अपेक्षा केवल पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट को ही मंजूरी दी जाएगी।

x. संबन्धित अधिनियम के अधीन पंजीकरण के अतिरिक्त , आय कर अधिनियम की धारा 12ए एवं 80 जी के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।

7. **<u>वित्तीय स्त्रोत</u>**

वार्षिक बजट :

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में कम्पनी तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुए निवल लाभ के औसत 2% को सी एस आर गतिविधियों के लिए सी एस आर बजट के रूप में निर्धारित करेगी।

8. **<u>बजट आबंटन</u>**

क) परियोजना प्रकार में गतिविधियों के लिए आबंटित बजट का कम से कम 80% ।

ख) गैर परियोजना प्रकार / एक मुश्त सहायता / अनुदान गतिविधियों के लिए आबंटित बजट का अधिकतम 10%।

ग) क्षमता निर्माण एवं सम्प्रेषण के लिए आबंटित बजट का अधिकतम 5%।

एमएसीजीसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI

घ) प्रशासनिक व्यय के लिए आबंटित बजट का अधिकतम 5%।

ङ) सी एस आर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी प्रकार का अधिशेष कम्पनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

च) उक्त मानदंडों से विचलन केवल उन प्रस्तावों पर स्वीकार्य होगा जिन्हें पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त हो।

9. सी एस आर व्यय - अव्ययित राशि की गणना

9.1 यदि अव्ययित राशि चालू परियोजना से संबंधित नहीं हो तो : जहां राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है, तो उसके व्यय में विफलता के मामले में, उसे बोर्ड रिपोर्ट में व्यय न किए जाने के कारणों को दर्शाने के साथ साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अग्रेषित करना आवश्यक है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अव्ययित शेष राशि (चालू परियोजना के अलावा) को 30 सितंबर, 2022 तक अनुसूची VII निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

9.2 चालू परियोजना से संबंधित अव्ययित राशि - वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले एक विशेष खाते में अंतरित किया जाना होगा एवं यह खाता अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता (यूसीएसआरए) के नाम से जाना जाएगा। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अव्ययित शेष राशि (चालू परियोजना) को 30 अप्रैल, 2022 तक यूसीएसआरए में स्थानांतरित कर दिया गया।

9.3 चालू परियोजना से संबंधित अव्ययित राशि के व्यय के लिए विस्तारित समय सीमा : इस तरह की राशि को इस तरह के स्थानांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर व्यय किया जाना होगा, जिसमें विफल होने पर, कंपनी इसे तीसरी वित्तीय वर्ष के पूरा होने

एचडीएफसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI

की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगी। । अत: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यूसीएसआरए को स्थानांतरित अव्ययित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 तक परियोजना के लिए किया जाना होगा , अन्यथा उसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

10. **निगरानी**

निगरानी की प्रक्रिया द्विस्तरीय प्रणाली है :

1. तिमाही आधार पर बोर्ड की सी एस आर समिति
2. तिमाही आधार पर सी एस आर वरिष्ठ कार्यपालकों की समिति

यदि आवश्यक हो तो परियोजना विशेष के मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक निगरानी / प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी नियुक्त की जायेगी। व्यावसायिक निगरानी / प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी की लागत को परियोजना की लागत में शामिल किया जाएगा। (i) कर्मियों द्वारा निगरानी के उद्देश्य से उनके कार्यालयीन दौरे (ii) दस्तावेजों / रिकार्डों (भौतिक / डिजिटल / मीडिया) आदि के लिए किया जाने वाले व्यय को प्रशासनिक व्यय में शामिल किया जाएगा।

11. **स्थानीय क्षेत्र :**

स्थानीय क्षेत्र से तात्पर्य है की ईसीजीसी के प्रधान कार्यालय एवं ईसीजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय।

12. **सरकारी दिशानिर्देश :**

कम्पनी द्वारा सी एस आर के उद्देश्य से समय समय पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार के दिशानिर्देश स्वतः नीति का अंश बन जायेंगे।

XXXXXXXXXXX

ईसीजीसी लिमिटेड मुंबई MUMBAI ECGC LIMITED